राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3691/2024

इशाक मोहम्मद पुत्र शफी मोहम्मद, उम्र लगभग 56 वर्ष, प्रॉप. मेसर्स एमआई इंजीनियरिंग सर्विसेज, रावतभाटा, निवासी आरपीएस वर्कशॉप के पास, आरपीएस कॉलोनी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. जगदीश कुमार पुत्र गोधा राम, प्रोप. मैसर्स जेके एंड संस, निवासी चेतक मार्केज़, मुख्य गांधी सागर रोड, रावतभाटा, जिला. चित्तौड़गढ़ (राज.)

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री मोहित सिंह चौधरी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री गौरव सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

01/07/2024

1. याचिकाकर्ता (एक आरोपी) की शिकायत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेगू, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित दिनांक 09.10.2023 के आदेश के खिलाफ है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 11.05.2023 के आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें धारा 91 सीआरपीसी के तहत उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही में, उन्होंने शिकायतकर्ता को अपना आयकर रिटर्न और धन उधार देने का लाइसेंस पेश करने का निर्देश देने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने 11.05.2023 को खारिज कर दिया था। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेगू, जिला चित्तौड़गढ़ के समक्ष एक पुनरीक्षण

याचिका दायर की, जिसे 09.10.2023 को खारिज कर दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. याचिका में दिए गए आख्यान की पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है।

4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 11.05.2023 को दिए गए आदेश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 09.10.2023 को दिए गए पुनरीक्षण आदेश की समीक्षा से पता चलता है कि ये सभी वैध तर्क पर आधारित हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पाया कि पुनरीक्षणकर्ता/याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत आवेदन के समर्थन में कोई हलफनामा भी दाखिल नहीं किया। इसके अलावा, वह यह प्रदर्शित करने में विफल रहा कि मांगे गए दस्तावेज एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले के न्यायिक निपटान के लिए कैसे आवश्यक और प्रासंगिक हैं। न्यायालय को केवल यह निर्धारित करना है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है या नहीं। यदि एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कोई अपराध किया गया है तो उसके परिणाम भुगतने होंगे।

5. शिकायतकर्ता के पास ब्याज पर उधार देने का लाइसेंस था या नहीं, यह चेक अनादर के मामले में प्रासंगिक नहीं है। चेक अनादर के मामले में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या चेक वैध ऋण के संबंध में जारी किया गया था और नोटिस देने के बाद भी भुगतान के बिना अनादर किया गया था।

6. इस प्रकार फाइल का अवलोकन करने और आरोपित आदेशों में दिए गए तर्कों को पढ़ने के बाद, मुझे तथ्यों या कानून में कोई अनियमितता नहीं मिली।

7. विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाकर्ता का आवेदन कार्यवाही में देरी करने की एक मात्र टालमटोल करने वाली रणनीति प्रतीत होती है और इसे सही तरीके से खारिज कर दिया गया है। इसलिए, कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

8. याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाता है।

9. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।